

Annexure-1

Form-1

For linear projects

Government of india

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 706 / ~~XXVI~~ -56 (2019-20)

Dated.....27/7/19

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **1.817 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, PMGSY-III PWD New Tehri (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of KHOT KOTHAR VILLAGE In Ghansali Tehsil.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.817 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure toI..... annexure.....Y.....,
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Date:-

Encl. As above.


S.D.M
Ghansali
Tehri Garhwal


Signature
जिला अधिकारी
(.....टिहरी गढ़वाल.....)
District collector,
Tehri Garhwal

FORM-II

(for Project other than nonlinear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri

No-

Dated-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified the 1.817 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, PMGSY-III PWD New Tehri (name of user agency) for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फेज-XVIII (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of PMGSY-III New Tehri.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.817 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....!.....to annexur....X.....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processed under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issues by the garm sabha of kothar villages (s) is enclosed as annexure.....to annexure.....
- (d) The discussion decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha Present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

21.6m
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
Signature

(Full Name of official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT -TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Dr. V. Shanmugam I.A.S** District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block – Bhilangana area measuring **1.819 hect.** for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैंज-XIX forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; New Tehri

Dated: 27/07/19.


जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector-cum-Chairman
District Level Committee

प्रपत्र- 30.2

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-~~xviii~~ xix

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-~~xviii~~ xix निर्माण कार्य हेतु 1.81९ है० आरक्षित वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-घनसाली) की दिनांक-3-6-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिंचा म. चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री फिंचा म. चौहान उपजिलाधिकारी अध्यक्ष।
2. श्री शरत सिंह मेहता उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3. श्री प्रम. प्रसाद पंवार स०समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली/चमियाला सदस्य/सचिव।
4. श्री विजय सुनहरे बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलगंगा सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-~~xviii~~ xix निर्माण कार्य हेतु 1.81९ है० वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत/ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फेज-XVIII निर्माण कार्य scheme regarding FRA is as following .

Sr. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 1.81 0 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the EE PMGSY-3 PWD New Tehri have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

(केदार बत्वाल)
जिला पंचायत सदस्य,
जिला पंचटिहरी गढ़वाल समिति
टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

वन सहायक
भिलगना रेंज घनसाली
टि० ख० प्र० नई टि०

अधिशारी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी




उप जिलाधिकारी / प्रशासक,
नगर पंचायत, घनसाली

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल


प्रारूप - 30.3

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक—3-6-2019 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज—~~XVII~~ निर्माण कार्य हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री <u>कि.चा.प्र.चौधरी</u>	उपजिलाधिकारी, घनसाली	
2	<u>शरत सिंह नेगी</u>	उप <u>प्रभागीय</u> वनाधिकारी, घनसाली <u>वन क्षेत्राधिकारी</u> <u>भिलगंगा रेंज</u>	उप जिलाधिकारी वन क्षेत्राधिकारी घनसाली भिलगंगा रेंज घन टि० ख० प्र० नं०
3	<u>रमेश चंद्र पंवार</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	श्री <u>विजय गुनसोला</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलगंगा	

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-~~xviii~~ ~~xx~~

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

नगर पंचायत/ग्राम पंचायत का नाम- कोठार

तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।


जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-~~xviii~~ ~~xx~~ निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 1.81 ~~है०~~ आरक्षित वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-3 लो०नि०वि० नई टिहरी /संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत/ग्राम पंचायत कोठार द्वारा दिनांक-26/02/2019 को सम्पन्न नगर पंचायत/ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथत सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पंचायत/ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगर पंचायत/ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पंचायत/ग्राम पंचायत कोठार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
अधिशासी अभियन्ता/सचिव
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 26/02/2019

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
पी.एस.जी.एस.वाय. III
लो.नि.वि. नई टिहरी टि.ग.

विषय- ग्राम कोठार भिलंग की तरफ से सड़क निर्माण के अन्तर्गत कृषि खेती भूमि पर अनापत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र महोदय की सेवा में प्रेषित ।

महोदय- ग्राम कोठार भिलंग टि.ग. में आपके विभाग द्वारा जो सड़क निर्माण के सम्बन्ध में सर्वे कराया गई है उस सर्वे के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान किसी भी ग्राम वासी की तरफ से कृषि योग्य भूमि/जमीन पर किसी भी प्रकार से अनापत्ति नहीं है और विकास के कार्यों में इस समस्या ग्रामवासी सरकार तथा विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है ।

अतः

आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे ग्राम सभा में अतिशीघ्रतापूर्वक सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय जिससे बिगाँव की उत्पन्न समस्या का निवारण हो सके।

प्रार्थी

समस्त ग्रामवासी
ग्राम कोठार भिलंग



रमेश सिंह नेगी
सदस्य

क्षेत्र पंचायत ज्यूवना
वि.वा.0-भिलंगला (टि.ग.0)

- 1) वि.वा.0 दत्त ज्यूवनी
- 2) देवान-पुनवासी
- 3) दौलत राम लिखाड़ी
- 4) अमर नाथ
- 5) वन्दू शाह
- 6) राजपाल
- 7) गौरा देवी
- 8) ~~अमर नाथ~~
- 9) Kamleshwar ~~...~~
- 10) Dhanraj
- 11) मन्दी लाल
- 12) हनुमन्ती
- 13) Bishan



12 अमर

रत्नमाला

केशरी माला

धरती माला

राजकुमार

शिवदत्त

सद्वर्त्मन

मित्र

विजय माला

देवी

रत्न माला

उत्तम मित्र

विश्व माला

राजकुमार

दीप

५५५